भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2216
गुरूवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन

2216 सुश्री स्वाति मालिवालः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में गतिविधि-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी दुर्घटनाएँ, चोट की घटनाएं या मौतें हुई हैं;

(ख) क्या इन मामलों में कोई जाँच या सुरक्षा ऑडिट किया गया और किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साहसिक पर्यटन पर एक आदर्श कानून परिचालित किया है, और यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आदर्श कानून को अपनाने और लागू किए जाने की क्या स्थिति है; और

(घ) देश भर में साहसिक पर्यटन संचालकों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण, सुरक्षा ऑडिट और बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): साहसिक पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुरक्षा और सुविधा प्रदान करते हुए साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

पर्यटन मंत्रालय साहसिक पर्यटन में भाग लेने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़ें नहीं रखता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर साहसिक (एडवेंचर) सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिसका उद्देश्य देश भर में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक और मानकीकृत कार्यढाँचा स्थापित करना है। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को उनके द्वारा अपनाए जाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार/अद्यतन करने के लिए परिचालित किए गए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है वे सभी साहसिक कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियामकों तथा लाइसेंस संबंधी मानदंडों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करें।

******